



महोबा पुलिस

दिनांक- 19.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 753/26

सरकिल नगर- थाना कोतवाली नगर महोबा

पुलिस मुठभेड़ में वाहन चोर गिरोह के 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अभियुक्त घायल, चोरी की 09 मोटरसाइकिल, 01 ई-रिक्शा, अवैध तमंचा-कारतूस सहित अन्य माल बरामद।

चोरी के वाहनों की बरामदगी से कई अभियोगों का हुआ अनावरण, 01 अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा जनपद में बाइक चोरी एवं अन्य वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम तथा इनमें संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर महोबा, जनपदीय स्वाॅट एवं सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीमों का गठन कर चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे।

- उक्त निर्देशों के क्रम में संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक- 18/19.09.2026 की रात्रि में चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान करिया पठवा पहाड़ के पीछे कब्रिस्तान के पास संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग किए जाने पर आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त सुजीत पटेरिया पुत्र स्व० रामपाल, निवासी बजरंग चौक, थाना कोतवाली नगर, महोबा घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया है। मौके से अभियुक्त संतोष नामदेव पुत्र बिन्दाप्रसाद, निवासी नयापुरा नैकाना, थाना कोतवाली नगर, महोबा को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

- पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने अपने साथी संतोष नामदेव एवं राजेश नामदेव के साथ मिलकर महोबा शहर में विभिन्न तिथियों में कई मोटरसाइकिल चोरी की हैं। दिनांक 15.09.2026 की रात रॉयल पैलेस के पास गुमटी का ताला तोड़कर गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू आदि सामान चोरी कर ई-रिक्शा में लादकर ले गए थे। आज उक्त चोरी के माल एवं मोटरसाइकिलों को ठिकाने लगाने आए थे। पुलिस टीम को देखकर गिरफ्तारी से बचने के लिए फायरिंग की। चोरी के सामान को बेचकर प्राप्त रकम तीनों आपस में बांट लेते थे।

- पूछताछ एवं निशानदेही के आधार पर करिया पठवा पहाड़ के पीछे झाड़ियों में छिपाकर रखी गई चोरी की कुल 09 मोटरसाइकिल एवं 01 ई-रिक्शा बरामद किए गए। साथ ही अभियुक्त सुजीत के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, 02 एण्ड्रायड मोबाइल फोन, 550 रुपये नगद तथा बीड़ी, सिगरेट, पानमसाला/गुटखा एवं तम्बाकू बरामद हुआ।

- उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में गैंगेस्टर एक्ट, चोरी/नकबजनी, शस्त्र अधि. NDPS एक्ट से संबंधित विभिन्न अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सुजीत पटेरिया पुत्र स्व० रामपाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी बजरंग चौक, थाना कोतवाली नगर,— पुलिस मुठभेड़ में घायल।
2. संतोष नामदेव पुत्र बिन्दाप्रसाद, उम्र 22 वर्ष, निवासी नयापुरा नैकाना, प्राइवेट बस स्टैंड के पास, थाना कोतवाली — गिरफ्तार।
3. राजेश नामदेव पुत्र कुलदीप, निवासी नयापुरा नैकाना, प्राइवेट बस स्टैंड के पास, थाना कोतवाली नगर, महोबा — प्रकाश में आया वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी।

बरामदगी का विवरण-

कुल 09 अदद मोटरसाइकिल क्रमशः...

- होन्डा शाइन, रजिस्ट्रेशन नं० UP95F7505
- पैशन प्रो, रजिस्ट्रेशन नं० UP95J1026
- स्प्लेण्डर प्लस, रजिस्ट्रेशन नं० UP95K4232
- हीरो स्प्लेण्डर प्लस, रजिस्ट्रेशन नं० UP95U9668
- टीवीएस रेडॉन, रजिस्ट्रेशन नं० UP95Q7934
- हीरो हाण्डा स्प्लेण्डर

- सुपर स्प्लेण्डर
- बजाज प्लैटिना
- एक अन्य मोटरसाइकिल
- 01 अदद ई-रिक्शा शामिल हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त...
- 01 अदद तमंचा 315 बोर,
- 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर,
- 02 अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन,
- बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला/गुटखा, तम्बाकू एवं 550 रुपये नगद माल मसरूका बरामद

नोट-

- बरामद शुदा मोटरसाइकिलों में 05 मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर, स्पेलेण्डर प्लस, हीरो हाण्डा स्पेलेण्डर, सुपर स्पेलेण्डर, एवं बजाज प्लैटिना ऐसी स्थिति में पाई गयी, जिनके चेसिस नम्बर/नम्बर प्लेट से छेड़छाड़ कर वाहनों की वास्तविक पहचान छिपाने का प्रयास किया गया था।

अनावृत एवं पंजीकृत अभियोग-

- अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं उनके कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर में पूर्व में पंजीकृत अभियोग क्रमशः मु.अ.सं. 437/26, मु.अ.सं. 449/26, मु.अ.सं. 460/26, मु.अ.सं. 461/26 एवं मु.अ.सं. 462/26 से सम्बंधित चोरी के मुकदमों का सफल अनावरण किया गया है।

- प्रकरण में उक्त पुलिस मुठभेड़ के संबंध में थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0 464/2026, धारा 303(2)/338/336(3)/340(2)/317(2)/317(5)/109(1)(पुलिस मुठभेड़)/352/3(5) बीएनएस एवं 35 बीएनएसएस तथा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त सुजीत पटेरिया का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 0226/2022, थाना अजनर — धारा 380, 411, 457 भा.दं.सं.
2. मु0अ0सं0 0227/2022, थाना अजनर — धारा 25/3 आयुध अधिनियम
3. मु0अ0सं0 0141/2020, थाना कबरई — धारा 379, 411 भा.दं.सं.
4. मु0अ0सं0 0192/2020, थाना कबरई — धारा 411 भा.दं.सं.
5. मु0अ0सं0 0193/2020, थाना कबरई — धारा 25 आयुध अधिनियम
6. मु0अ0सं0 0346/2022, थाना कबरई — धारा 380, 411, 457 भा.दं.सं.
7. मु0अ0सं0 0450/2020, थाना कोतवाली नगर — धारा 379, 411 भा.दं.सं.
8. मु0अ0सं0 0584/2020, थाना कोतवाली नगर — धारा 380, 411 भा.दं.सं.
9. मु0अ0सं0 0610/2020, थाना कोतवाली नगर — धारा 380, 411, 457 भा.दं.सं.
10. मु0अ0सं0 0617/2020, थाना कोतवाली नगर — धारा 379, 411 भा.दं.सं.
11. मु0अ0सं0 0033/2021, थाना कोतवाली नगर — धारा 3(1) गैंग्स्टर एक्ट
12. मु0अ0सं0 0458/2022, थाना कोतवाली नगर — धारा 380, 411, 411, 457 भा.दं.सं.
13. मु0अ0सं0 0503/2022, थाना कोतवाली नगर — धारा 380, 411 भा.दं.सं.
14. मु0अ0सं0 0508/2022, थाना कोतवाली नगर — धारा 380, 411, 457 भा.दं.सं.
15. मु0अ0सं0 0571/2023, थाना कोतवाली नगर — धारा 20, 8 NDPS अधिनियम
16. मु0अ0सं0 0251/2024, थाना कोतवाली नगर — धारा 380, 411, 457 भा.दं.सं.
17. मु0अ0सं0 0253/2024, थाना कोतवाली नगर — धारा 380, 411 भा.दं.सं.
18. मु0अ0सं0 0329/2024, थाना कोतवाली नगर — धारा 379, 411 भा.दं.सं.
19. मु0अ0सं0 0330/2024, थाना कोतवाली नगर — धारा 109 (BNS), 2023
20. मु0अ0सं0 0331/2024, थाना कोतवाली नगर — धारा 25/3 आयुध अधिनियम।

21. मु0अ0सं0 0199/2020, थाना श्रीनगर धारा 380/411/457 भादवि
22. मु0अ0सं0 207/2022 थाना श्रीनगर, धारा 380/411/457 भादवि
23. मु0अ0सं0 437/2026 , थाना कोतवाली नगर — धारा 303(2) bns
24. मु0अ0सं0 449/2026 , थाना कोतवाली नगर — धारा 303(2) bns
25. मु0अ0सं0 460/2026 , थाना कोतवाली नगर — धारा 305(A) 331(4)bns
26. मु0अ0सं0 461/2026 , थाना कोतवाली नगर — धारा 303(2) bns
27. मु0अ0सं0 462/2026 , थाना कोतवाली नगर — धारा 303(2) bns
28. मु0अ0सं0 464/2026, थाना कोतवाली नगर – धारा 303(2), 338, 336(3), 340(2), 317(2), 317(5), 109(1)(पुलिस मुठभेड़), 352, 3(5) बीएनएस एवं 35 बीएनएसएस तथा 03/25 आर्म्स एक्ट

अभियुक्त संतोष नामदेव का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 437/2026 , थाना कोतवाली नगर — धारा 303(2) bns
2. मु0अ0सं0 449/2026 , थाना कोतवाली नगर — धारा 303(2) bns
3. मु0अ0सं0 460/2026 , थाना कोतवाली नगर — धारा 305(A) 331(4)bns
4. मु0अ0सं0 461/2026 , थाना कोतवाली नगर — धारा 303(2) bns
5. मु0अ0सं0 462/2026 , थाना कोतवाली नगर — धारा 303(2) bns
6. मु0अ0सं0 464/2026, थाना कोतवाली नगर – धारा 303(2), 338, 336(3), 340(2), 317(2), 317(5), 109(1)(पुलिस मुठभेड़), 352, 3(5) बीएनएस एवं 35 बीएनएसएस तथा 03/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-

- थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, SHO कोतवाली नगर महोबा।
2. उ0नि0 सनय कुमार 3.उ0नि0 पवन गौड़ 4.उ0नि0 अभिषेक कुमार 5.उ0नि0 अंकित सिंह चौहान
3. हे0कां0 सूरज सिंह चौहान 7.कां0 अंशुमान सिंह 8.कां0 जयदीप पटेल 9.कां0 नरेन्द्र कुमार 10.कां0 अजय कोरी

- जनपदीय स्क्वॉट/सर्विलांस टीम-

1. उ0नि0 शिवप्रताप सिंह 2. उ0नि0 विवेक यादव
2. कं.ऑ. अभिषेक वर्मा 4. कां. दीपक वर्मा 5. कां. निर्भय सिंह 6. कां. रंजीत सिंह
3. कां. नीलेश कुमार 8. कां. सत्यम सिंह 9.कां. कुलदीप यादव 10.कां. अभिषेक दुबे 11.कां. आशीष बघेल





दिनांक- 19.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 754/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना के नेतृत्व में थाना खन्ना पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।
- आज दिनांक 19.09.2026 को उ०नि० नरोत्तम सिंह मय हमराह का० राहुल सोनकर द्वारा माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (सीनियर डिवीजन), महोबा द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्र के तहत 01 वारण्टी अभियुक्त राम दिनेश उर्फ लाल पुत्र श्री बाला, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम खम्हरिया, थाना खन्ना, जनपद महोबा को ग्राम खम्हरिया से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को सम्बन्धित मु०अ०सं० 257/2019, धारा 323/504/506 भादवि० के प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही उपरान्त माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- राम दिनेश उर्फ लाल पुत्र श्री बाला, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम खम्हरिया, थाना खन्ना, जनपद महोबा।

सम्बन्धित अभियोग-

- मु०अ०सं० 257/2019, धारा 323/504/506 भादवि०, थाना खन्ना, जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० नरोत्तम सिंह, थाना खन्ना, जनपद महोबा।
2. का० राहुल सोनकर, थाना खन्ना, जनपद महोबा।

